संख्या:-135/2025/आई1011411/001-410आ0-23-5002-002-43-2024
(कम्प्यूटर सं0-1821338)

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 02 जुलाई, 2025**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा में **लेखाशीर्षक 2216-07-053-05-00-29 "आवासीय भवनों का अनुरक्षण"** मद के अन्तर्गत जनपद एटा, बलिया, महाराजगंज व गोरखपुर के 18 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-14879/CE-BLD/BUIL(SR)/ALI/2025-26, दिनांक 23.06.2025, सं0-14839/CE-BLD/BUIL(SR)/AZM/2025-26, दिनांक 23.06.2025, सं0-14845/CE-BLD/BUIL(SR)/GKP/2025-26, दिनांक 23.06.2025, सं0-14875/CE-BLD/BUIL (SR)/GKP/2025-26, दिनांक 23.06.2025, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-55 के राजस्वलेखा मद के अन्तर्गत जनपद एटा, बलिया, महाराजगंज व गोरखपुर के 18 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता **रू0 127.08 लाख(रू0 एक करोड़ सत्ताईस लाख आठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 में समर्पित की गयी धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरान्त अद्यतन अवशेष (6-7+8)	क्षेत्र से मांग	मुख्यालय द्वारा संस्तुत धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	101/2024/आई763 452/001-435आ0-23-5002-002-79-2024, दिनांक 07.10.2024	एटा की पूल्ड हाउसिंग कालोनी के आवास संख्या बी-16 में पुन: विद्युतीकरण का कार्य।	04.24	00.16	04.08	03.40	0.00	00.68	00.48	00.48	00.48
2	तदैव	एटा में पूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आवास संख्या बी-16 की मरम्मत एवं स्लैब बदलने आदि का कार्य।	14.92	02.99	11.93	11.90	0.00	00.03	00.02	00.02	00.02
3	43/2025/आई-884569/001-115आ0-23-5002-002-10-2025, दिनांक 19.02.2025	एटा में पूल्ड हाउसिंग योजना के अंतर्गत आवास डी0-10 की आंशिक स्लैब बदलने मरम्मत तथा डी-51 की मरम्मत बाउंड्रीवाल आदि की विशेष मरम्मत का कार्य।	11.81	00.03	11.78	03.54	0.00	08.24	07.65	07.65	07.65
4	07/2025/आई843 305/001-667आ0-23-5002-002-94-2024, दिनांक 07.01.2025	पूल्ड हाउसिंग योजनान्तर्गत बलिया में टाईप-2 के 32 अदद् आवासों के पुन: विद्युतीकरण का कार्य (09 से 20), (45 से 52), (53 से 64)।	23.76	00.17	23.59	19.00	0.00	04.59	04.59	04.59	04.59
5	तदैव	पूल्ड हाउसिंग योजनान्तर्गत बलिया में निर्मित टाइप-1 के भवनों(आवास सं0-73 से 96	28.28	00.24	28.04	22.60	0.00	05.44	05.44	05.44	05.44

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		तक) के अनुरक्षण का कार्य।									
6	89/2025/आई9140 96/001-229आ0-23-5002-002-94-2024, दिनांक 22.03.2025	महाराजगंज मुख्यालय स्थित टाइप-4 के आवासों की मरम्मत का कार्य।	09.18	00.57	08.61	01.35	0.00	07.26	06.83	06.83	06.83
7	तदैव	महाराजगंज में आफिसर्स कालोनी स्थित आवास संख्या रेवेन्यू टाईप-2/3 की मरम्मत के साथ रंगाई-पुताई का कार्य।	13.61	00.10	13.51	02.00	0.00	11.51	10.83	10.83	10.83
8	66/2025/आई-899629/001-149आ0-23-5002-002-15-2025, दिनांक 06.03.2025	गोरखपुर स्थित बरगदवां कालोनी के टाइप-3 के आवास संख्या-1 से 18 तक (कुल 18 अदद) के पुनःविद्युतीकरण का कार्य।	32.83	02.06	30.77	05.00	0.00	25.77	24.00	24.00	24.00
9	तदैव	गोरखपुर में कमिश्नर कंपाउंड,बेतियाहाता स्थित टाइप-4 के आवास संख्या-1 से 4 तक (कुल 4 अदद) के पुनःविद्युतीकरण का कार्य।	13.03	00.03	13.00	02.00	0.00	11.00	04.50	04.50	04.50
10	तदैव	गोरखपुर विश्वविद्यालय पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित टाइप-4 के आवास संख्या-17 से 20 तक (कुल 4 अदद) के पुनःविद्युतीकरण का कार्य।	13.03	00.17	12.86	02.00	0.00	10.86	07.65	07.65	07.65
11	तदैव	गोरखपुर विश्वविद्यालय पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित टाइप-4 के आवास संख्या-21 से 24 तक (कुल 4 अदद) के पुनःविद्युतीकरण का कार्य।	13.03	00.17	12.86	02.00	0.00	10.86	07.65	07.65	07.65
12	तदैव	गोरखपुर में पार्क रोड(सहारा के समीप) स्थित टाइप-4 के आवास संख्या-37 से 40 तक (कुल 4 अदद) के पुनःविद्युतीकरण का कार्य।	13.03	00.17	12.86	02.00	0.00	10.86	04.45	04.45	04.45
13	तदैव	गोरखपुर में एस0पी0 कम्पाउण्ड, सिविल लाइंस स्थित टाइप-4 के आवास संख्या-25 से 28 तक (कुल 4 अदद) के पुनःविद्युतीकरण का कार्य।	13.03	00.13	12.90	02.00	0.00	10.90	04.45	04.45	04.45
14	तदैव	गोरखपुर में एस0पी0 कम्पाउण्ड, सिविल लाइंस स्थित टाइप-4 के आवास संख्या-29 से 32 तक (कुल 4 अदद) के पुनःविद्युतीकरण का कार्य।	13.03	00.13	12.90	02.00	0.00	10.90	07.67	07.67	07.67
15	तदैव	गोरखपुर में एस0पी0 कम्पाउण्ड, सिविल लाइंस स्थित टाइप-4 के आवास संख्या-33 से 36 तक (कुल 4 अदद) के पुनःविद्युतीकरण का कार्य।	13.03	00.13	12.90	02.00	0.00	10.90	04.45	04.45	04.45
16	तदैव	गोरखपुर में एस0पी0 कम्पाउण्ड, सिविल लाइंस स्थित टाइप-4 के आवास संख्या-41 से 44 तक (कुल 4 अदद) के पुनःविद्युतीकरण का कार्य।	13.03	00.09	12.94	02.00	0.00	10.94	07.70	07.70	07.70
17	तदैव	गोरखपुर विश्वविद्यालय पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित टाइप-3 के आवास सं0-1 से आवास सं0-8 तक(कुल 8 अदद) के पुनः विद्युतीकरण का कार्य।	14.46	00.15	14.31	02.10	0.00	12.21	11.00	11.00	11.00
18	तदैव	गोरखपुर में निरीक्षण भवन, गोरखपुर के समीप स्थित टाइप-4 के आवास सं0-23 से	13.03	00.06	12.97	02.00	0.00	10.97	07.72	07.72	07.72

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		26 तक (कुल 4 अदद) के पुन: विद्युतीकरण का कार्य।									
योग :-								173.92	127.08	127.08	127.08

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा यह पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(5) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) विद्युत/यॉत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा सम्बन्धित विद्युत/यॉत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 1,27,08,000(रूपये एक करोड़ सत्ताईस लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्षक लेखाशीर्षक 2216070530500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

..../04..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या:-135/2025/आई1011411/001-410आ0(1)/23-5-2025, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी एटा, बलिया, महाराजगंज व गोरखपुर।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, एटा, बलिया, महाराजगंज व गोरखपुर ।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0।
11- अधीक्षण अभियन्ता, वि0/यॉ0 वृत्त, लो0नि0वि0, आगरा।
12- अधीक्षण अभियन्ता, वि0/यॉ0 वृत्त, लो0नि0वि0, गोरखपुर।
13- अधीक्षण अभियन्ता, बलिया वृत्त व गोरखपुर वृत्त, लो0नि0वि0।
14- अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0, अलीगढ़।
15- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया।
16- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, महाराजगंज।
17- अधिशासी अभियन्ता, यॉत्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, गोरखपुर।
18- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जूली दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।